भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4605

जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है

केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष

4605. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत सड़क एवं अन्य अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान करने हेतु क्या तंत्र है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान सीआरआईएफ के अंतर्गत शुरू की गई सड़क एवं अन्य अवसंरचना परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान एकत्रित सीआरआईएफ निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान सीआरआईएफ के अंतर्गत आवंटित निधि और व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) केरल, विशेषकर वायनाड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में लंबित सीआरआईएफ प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सीआरआईएफ परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (च) संशोधित केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) अधिनियम, 2000 की धारा 7क के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों जैसे परिवहन (सड़क एवं पुल, बंदरगाह, शिपयार्ड, अंतर्देशीय जलमार्ग, हवाई अड्डे, रेलवे, शहरी सार्वजनिक परिवहन), ऊर्जा, जल एवं स्वच्छता, संचार, सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना आदि के लिए निर्धारित है। सीआरआईएफ के अंतर्गत निधि का हस्तांतरण मंत्रालय-वार किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान सड़क एवं अवसंरचना उपकर के संग्रहण और सीआरआईएफ के अंतर्गत किए गए उपयोग/हस्तांतरण का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

					राशि करोड़ रूपए में
मद	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (सं. प्रा.)**
संग्रहण	**235,782.55**	**195,986.96**	**59,234.95**	**44,552.49**	**45,250.00**

उपयोग / हस्तांतरण	182,363.47	251,738.18	239,646.25	47,777.66	39,777.90

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का कार्य सीआरआईएफ से प्राप्त आवंटन सहित समग्र उपलब्ध बजटीय परिव्यय के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के परामर्श से विधिवत रूप से अंतिम रूप दिए गए मानदंडों के अनुसार राज्य सड़कों का विकास और रखरखाव भी करता है। इन मानदंड में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की सूची को अंतिम रूप देने का प्रावधान है, जिन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा परियोजनाओं की पहचान, स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए गति शक्ति की रूपरेखा मार्गदर्शक सिद्धांत होगी। अनुमोदित सूची की परियोजनाओं का प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित लागत से 10 प्रतिशत तक की अनुमेय अतिरिक्त लागत के साथ दिया जाता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत स्वीकृत राज्य सड़क परियोजनाओं का केरल राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। इसमें पिछले पांच वर्षों के दौरान केरल राज्य में सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत स्वीकृत 142 करोड़ रुपए की लागत वाली 108 किलोमीटर लंबाई की 10 राज्य सड़क परियोजनाएं शामिल हैं, जो वायनाड लोकसभा क्षेत्र से गुज़रती हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए निधियों के संचय और जारी होने का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के तहत राज्य सड़क परियोजनाओं के अनुमोदन और निधियों आवंटन के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सरकार, वर्तमान वर्ष के संचय और पहले से स्वीकृत कार्यों की बकाया प्रतिबद्ध देनदारियों अर्थात् स्वीकृति बैंक (बीओएस) के आधार पर सीआरआईएफ के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत राज्य सड़क परियोजनाओं के अनुमोदन पर विचार करती है। दिनांक 01.04.2025 तक, वायनाड जिला सहित केरल राज्य के लिए स्वीकृत राज्य सड़क परियोजनाओं का बीओएस लगभग 1,200 करोड़ रुपये है, जबकि वर्तमान वर्ष का संचय 181 करोड़ रुपये है। केरल के अधिक बीओएस (वर्तमान वर्ष के संचय से 6.5 गुना से अधिक) को ध्यान में रखते हुए, केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत सीआरआईएफ प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

जब भी सीआरआईएफ के अंतर्गत राज्य के संचय और राज्य सरकार से प्राप्त निधियों के उपयोग के आधार पर स्वीकृति की गुंजाइश होगी, राज्य सरकार द्वारा इंगित प्राथमिकता क्रम में नए प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए लिया जाएगा।

परियोजना कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र की है, जिसमें परियोजना की निगरानी और कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर नियमित अंतराल पर किया जाएगा, ताकि कार्यों का समय पर पूरा होना सुनिश्चित हो सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीआरआईएफ के तहत पहले जारी की गई निधियों के उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करता है। निधियां जारी करते समय, यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए वर्ष के लिए संचय/आवंटन का एक तिहाई भाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास रखा रहे।

रेल मंत्रालय को आवंटित निधियों का उपयोग मुख्य रूप से लेवल क्रॉसिंग (एलसी) के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)/रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के विकास के लिए किया जाता है। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है और रेल संचालन में सुरक्षा एवं आवाजाही (मोबिलिटी) तथा सड़क प्रयोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है। दिनांक 01.04.2025 तक, 1,00,860 करोड़ रुपए की लागत से 4,402 सड़क सुरक्षा कार्य (आरओबी/आरयूबी) स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें केरल राज्य में 4,837 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत 140 कार्य शामिल हैं। इनमें से, वायनाड लोकसभा क्षेत्र में 77 करोड़ रुपए की लागत से 2 आरओबी स्वीकृत किए गए हैं।

सीआरआईएफ सहित विभिन्न स्रोतों के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवंटित निधियों का उपयोग मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए किया गया है, जो ग्रामीण सड़कों के लिए विकेन्द्रीकृत नेटवर्क योजना के मॉडल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य पीएमजीएसवाई के तहत प्रत्येक लक्षित बस्ती के लिए कम से कम एकल संपर्कता (सिंगल कनेक्टिविटी) उपलब्ध कराना है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीआरआईएफ के अंतर्गत दूरसंचार विभाग को आवंटित निधियों का उपयोग रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क के लिए किया गया है।

अनुलग्नक-I

'केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष' के संबंध में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा पूछे गए दिनांक 21.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4605 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत स्वीकृत राज्य सड़क परियोजनाओं का केरल राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा : -

लंबाई किमी में, लागत करोड़ रुपए में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
		सं.	लंबाई	लागत	सं.	लंबाई	लागत	सं.	लंबाई	लागत	सं.	लंबाई	लागत	सं.	लंबाई	लागत
1	आंध्र प्रदेश	46	676	946	0	0	0	35	400	1,174	3	40	108	19	278	646
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	27	301	553	0	0	33	25	78	306	21	136	449
3	असम	13	201	606	0	0	0	0	0	0	7	76	425	4	50	262
4	बिहार	1	2	205	0	0	0	27	122	1,542	0	0	0	8	68	642
5	छत्तीसगढ	0	0	0	15	316	846	6	0	315	1	0	42	8	324	892
6	गोवा	0	0	0	6	75	81	0	0	0	1	1	92	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	577	1,905	0	0	0
8	हरियाणा	0	0	0	1	24	99	13	279	780	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	13	94	238	1	0	103	5	73	295	6	144	345
10	झारखंड	0	0	0	0	0	0	17	216	1,128	0	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	2,061	1,386	0	0	0
12	केरल	0	0	0	0	0	0	37	404	673	0	0	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	1	107	154	24	600	1,893	37	643	2,966	11	59	698	0	0	0
14	महाराष्ट्र	0	0	0	272	2,263	2,040	171	943	2,978	89	663	1,900	130	832	1,994
15	मणिपुर	13	145	132	0	0	0	0	0	0	8	58	153	92	455	314
16	मेघालय	0	0	0	15	105	257	0	0	0	0	0	0	6	0	76
17	मिजोरम	0	0	0	1	10	47	1	37	1	0	0	0	1	0	70
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	1	24	93	8	39	103	0	0	0
19	ओडिशा	1	31	125	35	619	1,727	6	0	361	0	0	0	2	0	435

																लंबाई किमी में, लागत करोड़ रुपए में
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**			**2021-22**			**2022-23**			**2023-24**			**2024-25**		
		सं.	**लंबाई**	**लागत**	**सं.**	**लंबाई**	**लागत**	**सं.**	**लंबाई**	**लागत**	**सं.**	**लंबाई**	**लागत**	**सं.**	**लंबाई**	**लागत**
20	पंजाब	12	144	181	5	24	272	23	372	627	13	180	384	4	97	210
21	राजस्थान	0	0	0	81	1,607	2,046	14	0	674	112	2,397	3,591	28	749	1,184
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	33	50	8	26	62
23	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	11	25	478	0	0	0	28	66	301
24	तेलंगाना	0	0	0	48	612	879	5	0	433	37	498	977	0	0	0
25	त्रिपुरा	1	16	16	0	0	0	0	0	0	6	22	77	9	81	127
26	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	17	78	1,095	0	0	0	15	108	1,092
27	उत्तराखंड	0	0	0	42	370	615	6	1	194	13	439	259	12	333	454
28	पश्चिम बंगाल	7	136	483	0	0	0	14	346	997	0	0	0	0	0	0
29	दिल्ली							0	0	0	1	3	9	0	0	0
30	लद्दाख				17	422	297	0	0	0	37	469	1,352	0	0	0
31	पुदुचेरी				4	41	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुलग्नक-II

'केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष' के संबंध में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा पूछे गए दिनांक 21.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4605 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए निधियों के संचय और जारी करने का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण: -

राशि करोड़ रुपए में

क्र. सं.	राज्य/राज्य संघ राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		संचय	जारी*	संचय	जारी*	संचय	जारी*	संचय	जारी*	संचय	जारी*
1	आंध्र प्रदेश	325.54	322.00	334.96	300.80	380.19	356.55	420.10	485.48	420.00	322.56
2	अरुणाचल प्रदेश	125.48	42.03	128.39	128.33	147.65	183.63	167.75	238.00	168.04	269.13
3	असम	140.74	220.81	143.80	77.51	169.64	122.82	194.65	223.24	193.55	222.59
4	बिहार	195.30	425.93	201.16	447.06	226.47	226.47	258.43	258.43	255.17	255.17
5	छत्तीसगढ	237.50	234.92	245.74	230.29	281.12	86.92	320.19	353.60	322.62	177.28
6	गोवा	14.43	0.00	13.41	0.00	16.26	0.00	18.47	48.16	17.79	29.70
7	गुजरात	424.68	430.74	434.06	725.29	509.31	249.12	586.35	73.79	585.01	680.70
8	हरियाणा	167.73	78.54	177.05	163.71	197.73	0.00	205.63	108.60	203.31	189.00
9	हिमाचल प्रदेश	97.27	95.95	99.74	188.01	117.73	169.05	136.32	136.32	130.95	130.96
10	झारखंड	160.88	78.77	164.33	40.79	184.96	81.56	207.57	192.64	208.51	251.61
11	कर्नाटक	439.77	434.99	443.11	442.90	513.13	465.27	608.06	660.91	608.81	453.85
12	केरल	132.26	273.99	126.77	126.71	147.19	133.46	171.14	186.37	166.06	166.06
13	मध्य प्रदेश	541.01	535.13	556.21	622.93	632.99	573.96	719.10	778.13	721.61	682.14
14	महाराष्ट्र	683.27	675.84	683.80	390.27	783.19	1,084.15	886.63	886.63	891.52	891.52
15	मणिपुर	35.85	13.22	36.60	13.43	42.10	13.81	48.37	146.98	46.87	15.19
16	मेघालय	40.81	76.93	40.63	90.55	47.51	43.08	54.83	78.42	55.37	61.55
17	मिजोरम	32.56	32.28	33.14	22.06	38.20	10.96	43.62	35.60	43.86	55.45
18	नागालैंड	26.44	37.41	27.02	27.00	31.31	28.39	35.54	46.09	35.79	32.09

											राशि करोड़ रुपए में
क्र. सं.	राज्य/राज्य संघ राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		संचय	जारी*	संचय	जारी*	संचय	जारी*	संचय	जारी*	संचय	जारी*
19	ओडिशा	289.54	534.19	298.67	535.07	340.95	313.52	387.41	423.41	392.13	392.13
20	पंजाब	148.77	141.18	149.41	193.35	176.96	106.84	195.33	72.04	195.97	174.52
21	राजस्थान	622.71	141.81	627.89	148.40	715.82	906.62	812.41	745.90	816.17	1120.67
22	सिक्किम	12.09	3.98	12.06	25.78	14.09	17.04	16.27	28.04	16.18	21.72
23	तमिलनाडु	352.04	503.17	350.32	350.15	402.67	377.63	457.11	486.15	457.75	425.76
24	तेलंगाना	256.08	253.29	262.01	261.88	304.27	275.89	335.09	366.38	335.58	335.59
25	त्रिपुरा	17.89	48.84	18.49	33.76	21.23	19.42	23.94	25.92	24.01	23.94
26	उत्तर प्रदेश	582.69	576.36	616.59	616.29	702.42	658.75	777.40	821.07	777.88	784.51
27	उत्तराखंड	97.23	61.34	98.85	98.80	114.01	378.17	129.83	140.46	129.95	55.07
28	पश्चिम बंगाल	209.20	136.11	213.97	287.06	240.31	217.90	275.67	298.08	272.75	272.75
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15.12	15.12	15.17	10.08	17.49	15.81	19.75	16.68	19.75	16.06
30	चंडीगढ़	6.16	0.00	4.76	0	6.55	0.00	7.39	0.00	7.40	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	5.61	5.61	4.80	2.38	5.74	0.31	6.50	0.00	6.49	0.00
32	दमन और दीव										
33	दिल्ली	34.15	0.00	27.20	0	32.06	0.00	36.31		36.31	0.00
34	जम्मू और कश्मीर	94.51	79.40	96.91	321.18	113.61	343.61	128.67	206.67	128.67	128.67
35	लद्दाख	246.22	96.95	250.83	0.00	289.06	83.44	326.41	68.10	326.41	95.56
36	पुदुचेरी	8.47	8.47	7.39	5.18	10.39	7.83	11.76	9.94	11.76	9.94

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पिछले वर्षों के अव्ययित बकाया राशि से राज्य का संचय से अधिक निधियां जारी की गई है।

#सीआरआईएफ योजना के तहत सेतु बंधन के अंतर्गत राज्य सड़कों पर आरओबी/आरयूबी/पुलों के निर्माण के लिए आवंटित/जारी निधियां शामिल है।

*****